1- कृप्या आप लोक सूचना अधिकारी (संबंधित मंडल का नाम एवं पता) के नाम से आवेदन प्रस्तुत करें।

2- पंजीयन शुल्क के रूप में 10/–(दस रू) की आवश्यक राशि, आप डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर/बैंकर्स चेक से अथवा नकदी के लिए आप अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन में foRr lykgdkj ,o e[; y[kk vf/kdkjh] if'pe e/; jy] tcyij के नाम से जमा कर उसकी मूल प्रति viu vkonu d lkFk lcf/kr ykd lpuk vf/kdkjh d dk;ky; e HktA

3- चाही गई जानकारी में विलंब न हो, इसके लिये यह आवश्यक है कि एक आवेदन में एक ही विभाग से संबंधित जानकारी मांगी जावे।

4- आवेदनकर्ता को सूचना प्रदान करने में आने वाली लागत के लिए अतिरिक्त शुल्क अदा करना पड़ सकता है। ऐसे शुल्क का निर्धारण सूचना का अधिकार(शुल्क और लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 द्वारा किया गया है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त शुल्क मांगते समय ऐसे शुल्क का विवरण आवेदनकर्ता को सूचित करेगा। नियमावली मे निर्धारित शुल्क की दरें निम्नलिखित हैं–

(क) सृजित अथवा फोटोकापी किए हुए प्रत्येक पेज (ए 4 अथवा ए 3 आकार) कागज के लिये दो रूप्ये(2/–रूप्ये);
(ख) बड़े आकार के कागज में कापी का वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत;
(ग) नमूनों या माडलों के लिए वास्तविक लागत अथवा कीमत;
(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घण्टे के लिए कोई शुल्क नहीं ; और उसके बाद प्रत्येक घण्टे या उसके खंड के लिए पांच रूपए का शुल्क(5/–रूप्ये);
(ड) डिस्केट अथवा फलोपी में सूचना प्रदान करने के लिये प्रत्येक डिस्केट अथवा फलापी पचास रूपए (50/–रूप्ये);
(च) मुद्रित रूप में दी गई सूचना के लिये, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत मूल्य अथवा प्रकाशन के अद्वरणों की फोटोकापी के दो रूपए प्रति पृष्ठ।